# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 109 / 2020 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020 / 00345
दायर दिनांक :– 04.09.2020 निर्णय दिनांक 03.01.2025

1. गोरधनराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. हस्तू पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. डालाराम पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. भंवरलाल पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. अर्जुनराम पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. गोगा पत्नी आदुराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. परमी पुत्री आदुराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. मूल पुत्री आदुराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. हीराराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. मूलाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. जावताराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. तुलछाराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. पूनाराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. गोरधनराम पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. गोपालराम पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. स्वरूपाराम पुत्र असाराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9. हीरा पत्नी आसाराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. जालाराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
11. लूम्बाराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
12. दीपाराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
13. रेवन्तराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
14. रतनाराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
15. खींयाराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थी

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अभिवक्ता प्रार्थीगण
2 श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अभिवक्ता अप्रार्थी

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

## —:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद करवाने बंटवाड़ा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है। प्रार्थीगण के वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया साबित है, और प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सह खातेदारी अधिकारों संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 208 रकबा 71—04 बीघा, खसरा नम्बर 210 रकबा 78—09 बीघा, खसरा नम्बर 207 रकबा 0—10 बीघा, खसरा नम्बर 209 रकबा 0—11 बीघा ग्राम चाम्पासर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी में स्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनकी आवासीय ढाणियों, कुण्ड, बाड़ों इत्यादि मौके पर बहामी विभाजन से पूर्वजों के समय से किये गये विभाजन के माफिक बंट में आने वाली वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर जबरन नये बन रहे एक्सप्रेस—वे की तरफ की भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने पर आमादा हो गये है अगर अप्रार्थीगण अपने इस मकसद में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण के जायज हकुको पर कुठाराघात होगा एवं प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थीगण दावेदार है तथा अप्रर्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता राजेन्दसिंह सोलंकी ने कथन किया कि जवाब पेश न करे सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि राजस्व अभिलेख में संयुक्त खातेदारी की दर्ज है। प्रार्थीगण का हक हिस्सा कहा पर इसका निर्धारण मूल वाद में किया जाना है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## —:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बाप जिला फलौदी (राज.)

03/01/25

सहायक (कलेक्टर) …ण्डेल (आर.ए.एस.)
बाप (फलौदी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलौदी)